न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 47/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. कायमदीन पुत्र नभूखां 2. मेहरदीन पुत्र आरब खां 3. खेर मोहम्मद पुत्र आरब खां 4. अब्दुल अजीज पुत्र निजामदीन 5.मेहरदीन पुत्र नभू खां सभी जातियान मुसलमान निवासीगण रहीमपुरा पलीना, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर		1– रिडमलराम पुत्र धुडाराम 2– मोहिनी देवी पत्नी रामकिशन जातियान विश्नोई निवासीगण रहीमपुरा, पलीना, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 3– तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–2–2019 जो तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट द्वारा प्रार्थिनी मोहिनीदेवी के प्रार्थना पत्र पर क्रमांक/भू.अ/सीमांकन/2019/418–422 पारित किया गया एवं उसकी पालना मे तैयार की गई मौका फर्द सीमांकन दिनांक 12–3–2019

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 9–7–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0गण की ओर से तहसीलदार लोहावट के समक्ष उनके खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 815/8 रकबा 01 बीघा, खसरा नंबर 815/7 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नंबर 815/10 रकबा 4.10 बीघा, खसरा नंबर 815/11 रकबा 0.09 बीघा वाके ग्राम रहिमपुरा तहसील लोहावट की पैमाईश एवं सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र पेश किया । जिस पर तहसीलदार लोहावट ने उनके कार्यालय पत्रांक भूअ/सीमांकन/2019/418 व 419–422 दिनांक 13–2–2019 के जरिये भू.अभिलेख निरीक्षक शैतानसिह नगर के नेतृत्व मे तीन पटवारियों की टीम गठित कर प्रार्थियां एवं पडौसी खातेदारान के समक्ष सीमाज्ञान कर पालना सात दिवस मे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये । उक्त आदेश की पालना मे दिनांक 12–3–19 को उक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान एवं मौतबिरानो की उपस्थिति मे मौका फर्द सीमाज्ञान तैयार कर तहसीलदार लोहावट को प्रस्तुत की । जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने तहसीलदार लोहावट के आदेश 13–2–2019 एवं सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 12–3–19 के विरूद्ध यह अपील पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लोहावट के आदेश की पालना किये बिना दिनांक 12–3–19 को तैयार की गई मौका फर्द सीमांकन रिपोर्ट पडौसी खातेदार की अनुपस्थिति मे उन्हे सुने बिना ही एकतरफा तैयार की गई होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि प्रत्यर्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमे मौका सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12–3–2019 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया जाने पर अपीलांटगण को मजबूरन यह अपील प्रस्तुत करनी पडी तथा सीमांकन को निरस्त करवाने बाबत यह कार्यवाही करनी पडी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त सीमांकन रिपोर्ट अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है, इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–2–19 एवं उसकी पालना मे की गई मौका फर्द सीमांकन दिनांक 12–3–19 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त अपील मौका फर्द सीमांकन दिनांक 12–3–19 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि अंतिम आदेश ही नही था इसलिए उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत ही नही हो सकती थी इसके साथ ही रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार लोहावट के आदेश दिनांक 13–2–19 एवं उसकी पालना मे सम्पन्न की गयी सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12–3–19 को अपील के जरिये चुनौती दी है उक्त दोनो ही आदेश अपीलाधीन भूमि के संबंध मे पृथक से धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश मे मर्ज हो चुका है इसलिए अपीलांटगण की यह अपील निष्प्रभावी हो जाने से खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के अधिवक्ताओं की बहस का समर्थन करते हुए अपीलांट की अपील निष्प्रभावी हो जाने से खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट द्वारा अपीलाधीन भूमि की पैमाईश बाबत टीम गठित करने बाबत पारित आदेश कमांक भू.अ./सीमांकन/2019/418 व 419–422 दिनांक 13–2–2019 एवं उसकी पालना मे दिनांक 12–3–19 को मौके पर सम्पन्न की गई पैमाईश रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया । अपीलांटगण का इस न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त अपील मे मुख्य तर्क यह है कि उक्त फर्द पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 12–3–19 अपीलांटगण को सुने बिना उनकी अनुपस्थिति मे तैयार की गई है । प्रथमतः तहसीलदार द्वारा पैमाईश के लिए टीम गठन का आदेश एवं उसकी पालना मे पैमाईश रिपोर्ट तैयार करने संबंधी कार्यवाही कोई अतिम आदेश की श्रेणी मे नही आता है जिसके विरूद्ध अपील इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध मे सम्पन्न की गई जिस पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 12–3–19 को विवादस्प्रद मानते है तो उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पृथक से आदेश दिनांक 13–5–19 को हो चुका है जिसमे उक्त सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 12–3–2019 संबंधी आदेश मर्ज हो चुका हो जाने से भी यह अपील निष्प्रभावी हो जाने से खारीज योग्य है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 9–7–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर